148

संख्या–355/XXVIII(1)/2015-64/2004 (II Cover)

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय चन्दर नगर,
देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांकः 04 मार्च, 2016**

विषयः– मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा की स्थापना के लिए पी0एल0ए0 में रखी धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–970/XXVIII(1)/2015-64/2004 II Cover T.C. दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2014–15 आपके पी0एल0ए0 में रखी धनराशि रू0 30.00 करोड़ के क्रम में शासनादेश संख्या 3794/XXVIII(1)/2015-64/2004 II Cover T.C. दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 5.00 करोड एंव आपके पत्र संख्या–26प/चि0शि0/40/2012/(II Cover)/585 दिनांक 04 फरवरी, 2016, के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यो हेतु पी0एल0ए0 में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा के निर्वतन पर रखी कुल धनराशि ₹ 30.00 करोड के सापेक्ष वर्तमान में अवशेष धनराशि ₹ 25.00 करोड़ के सापेक्ष **₹ 25,00,000,00/–(रू0 पच्चीस करोड़ मात्र)** अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–881/XXVIII(1)/2014-64/2004 II Cover दिनांक 10 मार्च, 2014, शासनादेश संख्या–1122/XXVIII(1)/2014-64/2004 II Cover दिनांक 29 मार्च, 2014 एंव शासनादेश संख्या–2821/XXVIII(1)/2014-64/2004 II Cover दिनांक 09 सितम्बर, 2015 में उल्लिखित शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।

ii- उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

iii- उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है परन्तु धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रकिया से किया गया हो एवं स्वीकृत धनराशि

आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय यथावश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जायेगा।

iv- कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेग0ा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

v- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

vi- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

vii- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

viii- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ix- उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार एवं कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति के आधार पर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

x- स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xi- आगणन को जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

xii- कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि योजना हेतु किये जाने वाले कार्य आवंटन/निविदा/आउटसोर्स आदि की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु समय–समय पर सूचनाऐं चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी।

xiii- धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाये।

xiv- कार्य का निष्पादन मानकानुसार व पूर्ण गुणवत्ता सहित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0—386(P)/XXVII(3)/2016, दिनांक 01 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल।
3- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी,
6- महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, नार्थ जोन, देहरादून।
7- परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इकाई अल्मोड़ा।
8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9- वित्त अनुभाग—3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।